

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण**

**बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने के वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 298/20 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत वाँछित अभियुक्त नाम पता सुदर्शन उर्फ शक्तिमान पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी बेलहरा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 15.09.2020 को वादिनी की पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था तथा दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें थाना महुली पुलिस द्वारा आज दिनांक 02.10.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्त अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05-05-10 ली0 (कुल 20 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ 03 अभियुक्तगण नाम पता 1- अखिलेश कुमार पुत्र रामसागर शर्मा निवासी जमुहट 2- दिलीप कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी पश्चिम टोला 3- दयानन्द निषाद पुत्र विदेशी निवासी अमियहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 05-05-10 लीटर अवैध कच्ची के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 277/20, 278/20 व 279/ 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार**

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

## पीआरवी आफ द डे

**पीआरवी 2548 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल** – पीआरवी 2548 को थाना कोतवाली खलीलाबाद से इवेन्ट संख्या 04548 से मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में मौके पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को जरिये एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**पीआरवी स्टाफ** – मु0आरक्षी रामानन्द चौधरी, आरक्षी रमेश सिंह यादव, हो0चा0 विरेन्द्र चौधरी।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 60 वाहनो से 53400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**  
आज दिनांक 02-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 60 वाहनो से 53400 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।